whereat domestic air transport services are operated or are intended to be operated and of all communication stations and for matters connected therewith. The Authority will also discharge the functions for providing air navigation services at all the domestic and international airports.

The Board of the Authority was constituted on the 21st of May, 1986 and its composition is as follows:

(i) Air Marshal C.K.S. Raje	Chairman
(ii) The Director General of Civil Aviation	Member, ex-officio.
(iii) The Director, Civil Aviation Security	(Part-time) Member.
(iv) The Financial Advisor, Department of Civil Aviation.	(Part-time) Member.
(v) The Director General, C.P.W.D.	(Part-time) Member.
(vi) The Chairman, International Airports Authority of India.	(Part-time) Member.
(vii) The Managing Director, Air India.	(Part-time) Member.
(viii) The Managing Director, Indian Airlines.	(Part-time) Member.
(ix) The General Manager, Vayudoot.	(Part-time) Member.
(x) Lt. General (Retired) T.B. Nanda.	(Part-time) Member.

Committee on Urban Transport System

401. SHRI SAMBASIVA RAO: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have recently set up a study group on urban transport to recommend alternative systems of urban transport; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Yes, Sir.

(b) The terms of reference of the Study Group are as under:

(i) to recommend alternative systems of urban transport which could be developed using the latest available transport technology;

(ii) to establish parameters for such systems to suit Indian cities and conditions;

(iii) to establish capabilities and costs of various systems manufactured internationally and the expertise and general commercial conditions with which they are available looking at the trade offs between various alternatives;

(iv) to consider any other issue relevant to the subject.

The work of Study Group is in progress.

सेमीनारों में भाग लेने के लिये विदेश को भेजे गये डाक्टर

402. **श्री मिर्जा इर्शाद बेग :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 5 मार्च, 1986 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1121 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अधीन आयोजित सेमिनारों

आदि में भाग लेने के लिए सरकार द्वारा कितने डाक्टर विदेश भेजे गये और उनमें से ऐसे डाक्टरों को राज्यवार संख्या तथा उनके नाम क्या-क्या हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत थे ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आयोजित सेमिनारों आदि में भाग लेने के लिए 368 डाक्टर विदेश भेजे गये थे । चूंकि डाक्टरों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे डाक्टरों के नाम तथा पते बताना सम्भव नहीं है ।

रेल दुर्घटनायें

403. श्री मिर्जा इर्शादबेग : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है और इन दुर्घटनाओं में कितनी जान गई, प्रत्येक मामले में किसको जिम्मेदार ठहराया गया है और इन दुर्घटनाओं में प्रभावित व्यक्तियों को कितनी धनराशि की अदायगी की गई ;

(ख) अनुग्रह-भुगतान राशि निश्चित करने संबंधी नियम क्या हैं, क्या विभिन्न स्थानों के लिए विभिन्न दरों पर अनुग्रह-भुगतान राशि निश्चित की गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ; और

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं में से किसी दुर्घटना में तोड़-फोड़ किये जाने का पता लगाया गया, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई गाड़ी दुर्घटनाओं तथा उनमें मारे गये व्यक्तियों की संख्या और उनके कारण नीचे बताये गये हैं :—

	1985-86	1984-85	1983-84
परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	717	812	768
मृतकों की संख्या	212	356	207
कारण :			
(1) रेल कर्मचारियों की गलती	476	536	514
(2) रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों की गलती	65	75	81
(3) रेलवे उपस्करों की खराबी	112	107	88
(4) तोड़-फोड़	4	12	11
(5) अन्य कारण	28	57	58
(6) कारण अंतिम रूप से सिद्ध नहीं किये जा सके	33	25	16
(7) कारणों की जांच-पड़ताल की जा रही है	9	—	—
भुगतान की गयी मुआवजे की राशि-भले ही दुर्घटना वर्ष कोई भी रहा हो (लाख रुपयों में)	220.90 (अनन्तिम)	122.75	95.94